परिशिष्ट -1

[20/3/2023]

प्रश्न सं. [क्र. 3205]

मध्य प्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग
मंत्रालय

आवक क्रमांक 124
दिनांक 23/01/18

//आदेश//

भोपाल, दिनांक 10/01/2018

क्रमांक एफ 2-01/2018/1/55 :: राज्य शासन एतद्द्वारा भारतीय चिकित्सा परिषद के मापदण्डानुसार सहायक प्राध्यापक से सह प्राध्यापक एवं सह प्राध्यापक से प्राध्यापक के पद पर पदोन्नति हेतु पात्र चिकित्सा शिक्षकों को प्रदत्त वेतनमान पर ही डेजिगनेट करने हेतु चिकित्सा महाविद्यालयों में पदस्थ वरिष्ठ प्राध्यापकों की समिति गठित कर संबंधित चिकित्सा शिक्षकों के भारतीय चिकित्सा परिषद के मापदण्ड अनुसार पब्लिकेशन/विभागीय जांच/गोपनीय प्रतिवेदन का आंकलन कर डेजिगनेट करने की कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया जाता है।

2/- डेजिगनेट चिकित्सकों को किसी भी प्रकार का अतिरिक्त वित्तीय लाभ आदि देय नहीं होगा। साथ ही वेतन भत्ते एवं लाभ के संबंध में किया गया किसी भी प्रकार का पत्राचार मान्य नहीं होगा।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(शर्मिला ठाकुर)
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग
भोपाल, दिनांक /01/2018

पृ.क्रमांक एफ 2-01/2018/1/55
प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, मध्य प्रदेश भोपाल की ओर उनकी टीप क्रमांक 19/स्था./राज./18, दिनांक 06.01.2018 के संदर्भ में।
2. समस्त अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल/इन्दौर/ग्वालियर/जबलपुर/रीवा/सागर

की ओर उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

10/1/18
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग

24/1/18

प्रभारी अधिकारी
स्थापना शाखा
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग

परिशिष्ट-(2)

स्मरण पत्र-4

कार्यालय आयुक्त चिकित्सा शिक्षा
6वीं मंजिल, सतपुड़ा भवन, भोपाल (म.प्र)

क्रमांक 171 /स्था/राज/2023 भोपाल, दिनांक 10/02/2023

प्रति,

सचिव,
राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग,
पॉकिट-14, सेक्टर-8,
द्वारका फेस-1,
नई दिल्ली-110077।

विषयः- चिकित्सा महाविद्यालयों में पदस्थ चिकित्सा शिक्षकों को उच्च पद पर डेजिगनेट (नामित) करने बाबत्।

संदर्भः-1. संचालनालय का पत्र क्रमांक 413/स्था/राज/2021, दिनांक 12.05.2021
2. संचालनालय का पत्र क्रमांक 545/स्था/राज/2021, दिनांक 28.06.2021
3. संचालनालय का पत्र क्रमांक 821/स्था/राज/2022, दिनांक 22.09.2022
4. संचालनालय का पत्र क्रमांक 912/स्था/राज/2022, दिनांक 03.11.2022

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रो के माध्यम से प्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालयों में पदस्थ चिकित्सा शिक्षक (सहायक प्राध्यापक व सह प्राध्यापक) जो राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अनुसार उच्च पद की अर्हतायें पूर्ण करते है। उन्हे उच्च पद पर नामित किये जाने हेतु मध्यप्रदेश शासन द्वारा दिनांक 10.01.2018 द्वारा आदेश जारी किये गये।

चिकित्सा महाविद्यालयो द्वारा यह तथ्य उठाया जा रहा है, कि "एक बार सहायक प्राध्यापक के पद से सह प्राध्यापक के पद पर डेजिगनेट किये जाने के पश्चात् पुनः अनुभव व अर्हता के आधार पर निश्चित समय अवधि उपरान्त, डेजिगनेट सह प्राध्यापक को डेजिगनेट प्राध्यापक के पद पर लिया जा सकता है अथवा नही"। इस संबंध में संदर्भित पत्रो के माध्यम से स्पष्ट मार्गदर्शन चाहा गया था, जो वर्तमान समय तक अपेक्षित है।

वर्तमान में चिकित्सा महाविद्यालयों के चिकित्सा शिक्षकों को उच्च पद पर डेजिगनेट किये जाने के संबंध में आवेदन लंबित है। अतः पुनः अनुरोध है, कि उच्च पद पर डेजिगनेट किये जाने के संबंध में मार्गदर्शन शीघ्रताशीघ्र दिये जाने का अनुरोध है ताकि एन.एम.सी. के नार्म्स अनुसार चिकित्सा शिक्षकों को आवश्यकतानुसार डेजिगनेट किया जाकर उच्च पद की कमी की पूर्ति की जा सके।

संचालक चिकित्सा शिक्षा
मध्यप्रदेश

पृ0क्रमांक 172/स्था/राज/2023 भोपाल, दिनांक 10/02/2023

प्रतिलिपिः-

अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सागर, रतलाम, खण्डवा, विदिशा, दतिया, शिवपुरी, शहडोल, दतिया की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है, कि संस्था स्तर पर भी एन.एम.सी. को पत्र भेजकर अभिमत प्राप्त किये जाने की आवश्यक कार्यवाही करें।

संचालक चिकित्सा शिक्षा
मध्यप्रदेश

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग

डॉ अतुल वार्ष्णेय
प्राध्यापक
प्रभारी अधिकारी
... शाखा

परिशिष्ट-2

कार्यालय आयुक्त चिकित्सा शिक्षा
6वीं मंजिल, सतपुड़ा भवन, भोपाल (म.प्र.)

क्रमांक 237/स्था/राज/संचिशि/2023, भोपाल, दिनांक 20/02/2023

प्रति,

अधिष्ठाता,
चिकित्सा महाविद्यालय,
भोपाल।

विषय :- पैथोलॉजी विभाग में अजजा के बैकलॉग सह-प्राध्यापक पद की सुधार हो जाने के उपरान्त अजजा के बैकलॉग के पदों को अनदेखा कर विज्ञप्ति में की गई त्रुटि दिनांक से आर्थिक लाभ एवं शैक्षणिक अनुभव दिये जाने की कार्यवाही करने बाबत्।

संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक 234-35/एम.सी./4/स्था/राज/2022 दिनांक 03.01.23

---00---

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र में पैथोलॉजी विभाग में अजजा के बैकलॉग सह-प्राध्यापक पद में सुधार हो जाने के उपरान्त अजजा बैकलॉग के पद को अनदेखा कर विज्ञप्ति में की गई त्रुटि दिनांक से आर्थिक लाभ एवं शैक्षणिक अनुभव दिये जाने के संबंध में डॉ. मनीष सुल्या द्वारा अधिष्ठाता, भोपाल को आवेदन प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत किये गये अभ्यावेदन पर अधिष्ठाता, भोपाल द्वारा मार्गदर्शन चाहा गया है।

उपरोक्त के संबंध में लेख है कि पूर्व दिनांक से आर्थिक लाभ एवं शैक्षणिक अनुभव दिये जाने का नियमों में कोई प्रावधान नहीं है। डॉ. सुल्या को पदोन्नति दिनांक से ही समस्त लाभ देय होंगे।

संचालक चिकित्सा शिक्षा
मध्यप्रदेश

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग

डॉ. अतुल वार्ष्णेय
प्राध्यापक
सह प्रभारी